महत्वपूर्ण।

संख्या–285/पाँच–1–2019–5(19)/2018 टी.सी.।।।

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (साचीज),
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2019

विषयः– सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (एस0ई0सी0सी0 2011) में छूटे हुये पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–16/2018/1366/पाँच–1–2018–5(19)/2018, दिनांक 13.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में आपको स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी कम में आपके पत्र संख्या–एन0एच0पी0एम0/पत्रा–431–/2018–19/897–1, दिनांक 29.10.2018 द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (एस0ई0सी0सी0 2011) में छूटे हुये पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1). योजना का लाभ :

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (एस0ई0सी0सी0 2011) में छूटे हुये चिन्हित परिवार के सभी सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा केवल अन्तःरोगी (भर्ती मरीज) के लिये ही अनुमन्य होगी। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष रू0. 5.00 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा अनुमन्य होगी, जिसमें किडनी, हार्ट, लिवर आदि से सम्बन्धित रोग तथा कैंसर जैसे गम्भीर रोगों का इलाज भी सम्भव होगा। इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों के सदस्यों की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भारत सरकार द्वारा विभिन्न बीमारियों के प्रोसीजर्स चिन्हित किये गये हैं, जिसका लाभ इन छूटे हुये चिन्हित परिवारों को भी उपलब्ध होगा। इन छूटे हुये चिन्हित परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर आने वाला व्यय–भार पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

M

(2). छूटे हुये परिवारों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही :

जिलाधिकारियों के स्तर से कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा छूटे हुये पात्र परिवारों का 10,11,980 का डाटा उपलब्ध कराया गया है। यह सर्वेक्षण एस0ई0सी0सी0 2011 में निर्धारित पात्रता की शर्तों के आधार पर किया गया है। चिन्हित परिवारों का डाटा भारत सरकार को प्रेषित करते हुये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डाटा के साथ साफ्टवेयर में एकीकृत करने का अनुरोध किया जाय। छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु उपलब्ध कराये गये भारत सरकार के सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। इन चिन्हित परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित करने की प्रक्रिया एवं समस्त लाभ वही होंगे जो एस0ई0सी0सी0 2011 में चिन्हित परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत अनुमन्य है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संचालन में सहायता हेतु पूर्व में चयनित इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सीस (ISAs) के माध्यम से ही इन छूटे हुये चिन्हित परिवारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

(3). राज्य सरकार पर वित्तीय भार :

चिन्हित 10,11,980 अतिरिक्त परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु सम्पूर्ण व्यय–भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अनुमानित रू0. 1050/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से 10,11,980 परिवारों को योजनान्तर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु सम्भावित व्यय–भार रू0. 106,25,79,000/– (रूपया– एक सौ छः करोड़ पच्चीस लाख उन्यासी हजार) होगा। उक्त के अतिरिक्त रू0. 50/–प्रति परिवार की दर से रू0. 5,05,99,000/– (रू0. पांच करोड़ पांच लाख निन्यानवे हजार) का व्यय–भार प्रशासनिक मद में अनुमानित है।

चिन्हित लाभार्थी परिवारों के नाम से क्यू0आर0 कोड अंकित पत्र प्रेषित किया जाय। इस पर रू0. 5.00 प्रति परिवार (प्रति पत्र) की दर से कुल व्यय रू0. 50,59,900/–(रू0. पचास लाख उन्सठ हजार नौ सौ) अनुमानित है। इन पत्रों को लाभार्थी परिवारों तक पहुंचाने हेतु रू0. 2.00 प्रति परिवार (प्रति पत्र) की दर से आशा कार्यकत्री को देय कुल धनराशि रू0. 20,23,960/– (रू0. बीस लाख तेईस हजार नौ सौ साठ) अनुमानित है।

इस प्रकार अतिरिक्त चिन्हित परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार पर कुल व्यय भार रू0. 112,02,61,860/–(रूपया एक सौ बारह करोड़ दो लाख इक्सठ हजार आठ सौ साठ) अनुमानित है।

(4). इस योजना का पूर्ण वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अतः इसका एकाउन्ट पृथक से रखा जाय।

M

(5). सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (एस0ई0सी0सी0 2011) में छूटे हुये चिन्हित परिवार पात्र परिवारों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु भारत सरकार से पृथक से अनुरोध किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्णयों के कम में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (एस0ई0सी0सी0 2011) में छूटे हुये पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में प्रगति से शासन को समय–समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– डा0 इंदु भूषन, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– स्टाफ अफसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
10– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
11– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
12– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
13– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
14– परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, उ0प्र0, लखनऊ।
15– अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
16– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
17– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,4 उ0प्र0।
19– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
21– समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
22– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

M